भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1882**

दिनांक 29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हेतु करार

1882. डा॰ नजमा ए॰ हेपतुल्लाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और चीन भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक बना हुआ है;

(घ) ऐसे नकारात्मक व्यापार संतुलन को सीमित करने के लिए क्या नीतिगत कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि अब तक इन प्रयासों को सफलता नहीं मिली है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी,हाँ । दिनांक 15-17 दिसम्बर 2010 तक चीन के प्रीमियर श्री वेन जियाबाओ की भारत की सरकारी यात्रा के दौरान भारत और चीन वर्ष 2015 तक 100 बिलियन अम.डा. के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं । दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त ज्ञापन अनुबंध-I में दिया गया है ।

(ग) : जी, हाँ ।

(घ) : चीन के साथ ऋणात्मक व्यापार संतुलन (बीओटी) को कम करने की दृष्टि से विनिर्मित वस्तुओं पर विशेष बल के साथ व्यापार वस्तु-समूह का विविधीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं । हम चीन के बाजार में गैर-टैरिफ बाधाओं से निपटने के लिए बाजार पहुँच संबंधी मुद्दों को विभिन्न मंचों पर उठा रहे हैं । मंत्री स्तर पर हमारा आर्थिक संबंध, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त दल (जेईजी) है जहाँ नियमित रूप से व्यापार संबंधी मुद्दे उठाए जाते हैं । भारतीय निर्यातकों को चीनी बाजार में भारतीय उत्पादों के प्रदर्शन तथा चीनी कम्पनियों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए चीन के प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है । व्यापार मेलों में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी से चीनी आयातकों को विशिष्ट भारतीय उत्पादों की जानकारी मिलती है । बाजार पहुँच पहल (एमएआई)/बाजार विकास सहायता (एमडीए) जैसी स्कीमों के जरिए व्यापार-सह-व्यापार संबंधों को प्रोत्साहन दिया जाता है ।

(ड.) और (च) : चीन के साथ ऋणात्मक व्यापार संतुलन (बीओटी) को कम करने हेतु उठाए गए कदमों में अपेक्षानुसार सफलता नहीं मिली है । ऐसा आंशिक रूप से दोनों देशों के आर्थिक ढ़ाँचे,

दोनों देशों के बीच व्यापार की जा रही वस्तुओं, चीन में बाजार पहुँच संबंधी मुद्दों तथा वैश्विक आर्थिक मंदी जिससे समग्र व्यापार मात्रा में गिरावट आई है, के कारण हो सकता है । भारत और चीन के बीच व्यापार का संघटन विषम प्रकृति का है । जहाँ भारत प्राथमिक उत्पादों, कच्ची सामग्री, मुख्यतः लौह अयस्क, ताम्र, खनिजों, कपास आदि का निर्यात करता है, वहीं चीन से मुख्य रूप से तैयार वस्तुओं एवं मशीनों का आयात होता है । वर्ष 2011-12 के दौरान चीन को भारत के निर्यातों में 53% से अधिक हिस्सा अलौह धातुओं, लौह अयस्क तथा कपास का था जबकि चीन से आयातों में आधे से अधिक हिस्सा विद्युतीय मशीनों एवं मशीनों, रिऐक्टर्स, बॉयलर्स आदि का था । इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा विनिर्माण एवं मूल्यवर्धन उद्योग में कम निवेश किए जाने के कारण भारत में चीनी विनिर्मित एवं मूल्यवर्धित उत्पादों के आयात हेतु बाजार तैयार हो गया है । भारत में दूरसंचार नेटवर्क तथा विद्युत उद्योग के विस्तार का परिणाम इन क्षेत्रों में चीन से अधिक आयात के रूप में हुआ है ।

....

अनुबंध-1

भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य का संयुक्त ज्ञापन
16 दिसम्बर, 2010

1. भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम डा. मनमोहन सिंह के निमंत्रण पर चीन जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद के प्रीमियर महामहिम श्री वेन जियाबाओ 15 से 17 दिसम्बर 2010 तक भारत गणराज्य के राज्य दौरे पर हैं । प्रीमियर वेन जियाबाओ ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से वार्ता की और वह भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, से मुलाकात करेंगे । दोनों देशों के नेताओं ने सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण माहौल में द्विपक्षीय संबंधों तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का गहन आदान-प्रदान किया और उनके बीच व्यापक सहमति बनी ।

2. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि विश्व के दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में भारत और चीन अपने वृहत एवं सम्पोषणीय आर्थिक और सामाजिक विकास का सुनिश्चय करते हुए महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दायित्वों का निर्वाह करें । उन्होंने एशिया तथा विश्व में शांति एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु भी महत्वपूर्ण योगदान दिया । भारत तथा चीन के संबंध उनके द्विपक्षीय कार्यक्षेत्र से कहीं बढ़कर हैं और उनका वैश्विक एवं कार्यनीतिक महत्व बन गया है ।

3. दोनों पक्ष एक-दूसरे के शांतिपूर्ण विकास का स्वागत करते हैं और उसे परस्पर बलदायी प्रक्रिया मानते हैं । वे मानते हैं कि उनके गहन होते संबंधों से उनके सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अधिक अवसर प्राप्त होते हैं । भारत और चीन दोनों के विकास के लिए विश्व में पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं और वस्तुतः भारत तथा चीन के बीच सहयोग हेतु पर्याप्त क्षेत्र हैं ।

4. दोनों पक्षों ने पिछले दस वर्षों में भारत-चीन संबंधों में हुई व्यापक एवं त्वरित प्रगति की संतोषजनक समीक्षा की और उन्होंने वर्ष 2003 में भारत तथा चीन के बीच संबंध एवं व्यापक सहयोग हेतु सिद्धांतों के घोषणापत्र, 2005 में भारत तथा चीन के संयुक्त वक्तव्य, 2006 के भारत चीन संयुक्त घोषणापत्र तथा 2008 के भारत एवं चीन के 21 वीं सदी हेतु साझा दृष्टिकोण में निर्धारित भारत-चीन संबंधों के विकास संबंधी मूलभूत सिद्धांतों एवं सहमति के पालन के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की । दोनों पक्षों ने कार्यनीतिक संवाद को बेहतर बनाने, कार्य चालनात्मक सहयोग को बढ़ाने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को व्यापक बनाने तथा शांतिपूर्ण सह-उपस्थिति, परस्पर सम्मान और एक दूसरे की चिंताओं एवं महत्वाकांक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता के पाँच सिद्धांतों के आधार पर शांति एवं समृद्धि हेतु भारत-चीन कार्यनीतिक एवं सहयोगी साझेदारी को गहन और समृद्ध बनाने का निर्णय लिया ।

5.इसी साझेदारी को दर्शाते हुए दोनों पक्षों ने राज्य/सरकार के प्रमुखों के बीच नियमित दौरे के तंत्र को स्थापित करने का निर्णय लिया । उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री तथा चीन के प्रीमियर के बीच टेलीफोन हॉटलाइन शुरू किए जाने का स्वागत किया और दोनों देशों के महत्व के मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच नियमित परामर्श पर सहमत हुए । वे दोनों विदेश मंत्रियों के बीच दौरों के वार्षिक आदान-प्रदान हेतु तंत्र की स्थापना पर भी सहमत हुए ।

6. द्विपक्षीय व्यापार की बढ़ती हुई मात्रा तथा निवेश संबंधों पर संतोष व्यक्त करते हुए दोनों पक्ष आधार को और व्यापक बनाने तथा व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को संतुलित करने और भावी प्रगति के लिए व्यापक संभावना को साकार बनाने हेतु नए अवसरों को अभिज्ञात करने पर सहमत हुए । इस उद्देश्य के लिए दोनों पक्षों ने :

(क) आर्थिक संबंधों में बढ़ते हुए अवसरों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और दोनों वृहत-आर्थिक नीतिगत समन्वय को बढ़ाने; आदान-प्रदान तथा वार्ताओं के समन्वय हेतु एक कार्यनीतिक आर्थिक वार्ता-मंच स्थापित करने और आर्थिक विकास में आने वाले मुद्दों एवं चुनौतियों से निपटने के लिए तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए ।

(ख) **वर्ष 2015 तक 100 बिलियन अम. डा. का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करनाः** दोनों पक्ष भारत के व्यापार घाटे को कम करने की दृष्टि से चीन को अधिक भारतीय निर्यातों का संवर्धन करने हेतु उपाय करने पर सहमत हुए । इसमें चीन के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय व्यापार मेलों में भारतीय भागीदारी हेतु सहायता, व्यापार सुगमीकरण को आगे बढ़ाना, भेषज पर्यवेक्षण के आदान-प्रदान एवं सहयोग में सुधार, चीनी उद्यमों तथा भारतीय आईटी उद्योग के बीच सुदृढ़ संबंध तथा कृषि उत्पाद संबंधी पादप स्वच्छता वार्ताओं को शीघ्रता से अंतिम रूप देना शामिल है ।

(ग) एक दूसरे की क्षमताओं से लाभान्वित होने तथा परस्पर लाभ एवं लाभदायी परिणाम प्राप्त करने के लिए अवसंरचना, पर्यावरण सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर-संचार, निवेश एवं वित्तपोषण में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए । भारत ने सड़क, रेल एवं विनिर्माण क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में भारत के अवसंरचना विकास में निवेश तथा भागीदारी हेतु चीनी उद्यमों का स्वागत किया । दोनों पक्ष दोनों देशों के व्यवसाय जगत के बीच अधिक परस्पर निवेश तथा परियोजना संविदा सहयोग को प्रोत्साहन देने, आर्थिक एवं व्यापक गतिरोधों और मतभेदों पर उपयुक्त कार्रवाई करने तथा सभी प्रकार के संरक्षणवाद का संयुक्त रूप से विरोध करने पर सहमत हुए । उन्होंने व्यवसाय संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने और व्यापार एवं निवेश सहयोग के विस्तार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए भारत-चीन सीईओ मंच का गठन किया ।

(घ) बैंकिग एवं वित्तीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा चीन बैंकिग विनियमन आयोग के बीच समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया । भारत और चीन दूसरे देशों के बैंकों को शाखाएँ तथा प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान पर भी सहमत हुए । संबंधित प्राधिकरणों द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी ।

7. दोनों पक्षों ने वर्ष 2010 में भारत गणराज्य तथा चीन जनवादी गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60 वीं वर्षगाँठ के समारोह कार्यकलापों पर संतोष व्यक्त किया । दोनों पक्षों ने 2011 को "भारत-चीन विनिमय का वर्ष" घोषित किया । दोनों पक्षों ने सिविल सोसायटी संगठनों, युवाओं, मीडिया, विद्धानों, सुविज्ञों, कलाकारों तथा सांस्कृतिक व्यक्तित्वों के बीच बेहतर संवाद को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया । दोनों पक्ष अगले पाँच वर्षों में युवा आदान-प्रदान कार्यकलापों को जारी रखने पर भी सहमत हुए । वर्ष 2011 के भीतर चीन विभिन्न क्षेत्रों से 500 भारतीय युवाओं

को चीन यात्रा हेतु आमंत्रित करेगा । वर्ष 2010-12 के लिए चीन जनवादी गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच मीडिया आदान-प्रदान तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । दोनों पक्ष भारत-चीन सांस्कृतिक सम्पर्क व्यक्तियों संबंधी एक वृहत कोश के संकलन पर विचार -विमर्श करने के लिए सहमत हुए थे ।

8. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की भाषाओं के व्यापक ज्ञान सहित शैक्षणिक आदान-प्रदान के महत्व को स्वीकार किया । इस संदर्भ में चीनी पक्ष ने केंद्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा अगले अकादमिक सत्र (अप्रैल 2011) से भारत के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में चीन को विदेशी भाषा के रूप में शामिल किए जाने के निर्णय का स्वागत किया । चीन द्वारा चीनी भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा चीनी भाषा की प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने हेतु सहायता की पेशकश की जाएगी । दोनों पक्षों ने भारत-चीन उत्कृष्ट महाविद्यालय विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम की स्थापना की घोषणा की और वे परामर्शो के जरिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे । अंतर-महाविद्यालयी और छात्र आदान-प्रदान को सुकर एवं सुदृढ़ बनाने के लिए दोनों देश डिग्रियों एवं डिप्लोमा के परस्पर अभिज्ञान संबंधी एक करार को अंतिम रूप दिए जाने पर विचार करने पर सहमत हुए ।

9. दोनों पक्षों ने सीमा-पार नदियों के क्षेत्र में चीन तथा भारत के बीच उत्तम सहयोग को नोट किया । भारतीय पक्ष ने बाढ़ के मौसम के जलविज्ञानी आँकड़ों तथा आकस्मिक प्रबंधन में चीनी पक्ष द्वारा प्रदत्त सहायता की सराहना की । दोनों पक्षों ने दोहराया कि वे इस क्षेत्र में सहयोग का संवर्धन करेंगे ।

10. शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से दोनों पक्षों ने शीघ्रतिशीघ्र सीमा विवाद मतभेदों को हल करने के लिए अपनी दृढ़ वचनबद्धता को दोहराया । उन्होंने दोहराया कि सीमा विवाद का हल दोनों देशों के नेताओं द्वारा सहमत दस-आयामी रणनीतियों में से एक है । दोनों पक्षों ने 2005 में सहमत सीमा विवाद के निपटान हेतु राजनीतिक मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांत करार पर अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की और वार्ताओं की प्रक्रिया विशेष प्रतिनिधियों द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है और दोनों पक्ष राजनीतिक और सामरिक नज़रिये से एक निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान के तलाश में तत्पर हैं । सीमा विवाद संबंधी प्रस्ताव के लम्बित रहते हुए पिछले समझौतों के आधार पर सीमा क्षेत्रों में अमन-चैन बनाये रखने के लिए दोनों पक्ष एक साथ काम कर रहे हैं ।

11. दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढाँचागत अभिसमय के सिद्धांतों और सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों सहित क्योटो प्रोटोकॉल का अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अनुपालन कराने का आह्वान किया । दोनों पक्षों ने बाली रोडमैप के अधिदेश के अनुसार क्योटो प्रोटोकॉल और यूएनएफसीसीसी का पूर्ण, प्रभावी एवं स्थायी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एक पक्षपात रहित एवं संतुलित जलवायु करार बनाने हेतु भारत और चीन द्वारा उठाये गये अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के संयुक्त प्रयास की सराहना की । दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने तथा प्रशमन करने के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की और दोनों पक्ष इस सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए । उन्होंने हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन

पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया । चीन द्वारा 2012 में जैव विविधता अभिसमय के भागीदारों की ग्यारहवीं बैठक की भारत द्वारा मेज़बानी किये जाने की सराहना की गई ।

12. दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति अपने सुस्पष्ट विरोध को दर्शाया और इस बात पर बल दिया कि किसी भी जगह आतंकवाद की किसी भी घटना को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है । उन्होंने संयुक्त प्रयासों के माध्यम से आतंकवाद का सामना करने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की जिनमें आतंकवाद को वित्तीय सहायता मिलने से रोका जाना शामिल है । उन्होंने सभी संगत यूएन संकल्पों, विशेष रूप से यूएनएससी संकल्प 1267, 1373,1540 और 1624 को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया ।

13. परस्पर पड़ोसी देश होने के कारण इस विस्तृत भूभाग की सुस्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा में भारत तथा चीन दोनों का हित शामिल है । उन्होंने इस भूभाग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हो रही वार्ताओं में तेजी लाने और अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई । दोनों पक्षों का यह मानना था कि एशियाई महाद्वीप के राष्ट्रों के रूप में भारत तथा चीन के बीच अधिक सुदृढ़ निकट संबंध और परस्पर लाभकारी सहयोग से शांतिपूर्ण एवं सुस्थिर क्षेत्रीय परिवेश बन सकेगा जिससे समानता, परस्पर विश्वास और परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा मिलेगा । एक शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध राष्ट्र बनने में अफगानिस्तान की सहायता करने के संबंध में भारत तथा चीन ने अपनी वचनबद्धता अभिव्यक्त की । उन्होंने अफगानिस्तान की अगुवाई में की जाने वाली पहलों के प्रति एक सार्थक तथा संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के महत्व पर बल दिया ।

14. दोनों पक्षों ने एशिया में बहुपक्षीय सहयोग तंत्र हेतु अपने समर्थन और एशिया में अंतर-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग प्रक्रियाओं में एक-दूसरे की भागीदारी के संबंध में अपने सकारात्मक दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की । दोनों पक्षों ने पूर्वी एशिया शिखरवार्ता, एशिया-यूरोप बैठक, शंघाई सहयोग संगठन, रूस-भारत, चीन त्रिपक्षीय सहयोग तंत्र और दक्षिण-एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के कार्यढाँचे के भीतर सहयोग को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की । दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक मुक्त, सर्वसमावेशी तथा पारदर्शी परिवेश तैयार करने में ईएएस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । दोनों पक्ष पूर्वी एशिया के लोगों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने वाली परियोजनाओं पर मिलकर कार्य करने हेतु सहमत हुए । इन संदर्भ में चीन ने भारत द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरूद्धार के प्रयासों का स्वागत किया । दोनों पक्षों ने नालंदा परामर्शदाता समूह के कार्यों और अब तक हुई प्रगति की सराहना की । भारत ने चीन द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक मिलियन अम. डा. का योगदान दिए जाने का स्वागत किया ।

15. दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय शस्त्र नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और अप्रसार प्रक्रियाओं को बढ़ावा समग्र देने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की । उन्होंने सभी परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध और उनके विनाश का समर्थन किया तथा वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे आने का आह्वान किया । दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष के सैन्यीकरण और उसे हथियार बनाने की होड़ के प्रति अपने पुरज़ोर विरोध को दोहराया ।

16. दोनों पक्षों ने सामूहिक सुरक्षा, व्यवधान रहित वाणिज्य और सार्वभौम रूप से सहमत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संगत सिद्धांतों के अनुरूप नौवहन में स्वतंत्रता के महत्व की पुनः पुष्टि की । इस संदर्भ में वे दोनों अडन की खाड़ी में सामुद्रिक चोरी का समाधान निकालने के लिए साथ-साथ काम करने पर सहमत हुए ।

17. प्रमुख क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के समस्त हित और समान चिन्ताओं को अभिज्ञात करते हुए दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय मंचों पर अपने समन्वय एवं सहयोग का संवर्धन करने का निश्चय किया । चीन, एक बड़े विकासशील देश के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत को अत्यधिक महत्व देता है और सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए भारत की अकांक्षाओं को समझता है और उसका समर्थन करता है । चीन वर्ष 2011-12 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का चुनाव किए जाने का स्वागत करता है और दोनों देश परिषद के अन्दर अपना परामर्श गहन करने पर सहमति व्यक्त करते हैं । जलवायु परिवर्तन, डब्ल्यूटीओ का दोहा विकास दौर, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं आर्थिक सुधार जैसे बहुपक्षीय मुद्दे ऐसे विषय हैं जिन पर विशेष रूप से सघन सहयोग करना अपेक्षित है । दोनों पक्षों ने इस बात को माना कि चूँकि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर हो रही है और पुनः मजबूत हो रही है इसलिए चीन और भारत जी-20 ढाँचे के अन्तर्गत सूचनाओं का आदान-प्रदान और परस्पर परामर्श सुदृढ़ करेंगे, वैश्विक आर्थिक प्रणाली में सुधार करने को संयुक्त रूप से सुकर बनाएंगे तथा संतुलित विकास और साझे लाभों के लिए आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देंगे । दोनों बीआरआईसी ढाँचे के अन्तर्गत सहयोग संवर्धन करने पर सहमत हुए ।

18. प्रीमियर वेन जियाबाओ ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को वर्ष 2011 में चीन आने का निमंत्रण दिया तथा प्रधानमंत्री श्री सिंह ने सहर्ष उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया । यात्रा की तारीखों का निर्णय राजनयिक माध्यमों के द्वारा लिया जाएगा ।

नई दिल्ली
दिसम्बर 16, 2010